

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

आउटकम बजट 2024–25

**विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3
(धनराशि रु.लाख में)**

क्रं सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1.	मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान	शासन के निर्देशानुसार जनपद स्तरीय इकाईयों के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना।	805.92	—	10 अधिकारियों एवं 32 कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय के संचालन पर व्यय किया गया।	10 अधिकारियों एवं 37 कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय के संचालन पर व्यय का भुगतान किया जायेगा	10 अधिकारी एवं 47 कर्मचारी	10 अधिकारी एवं 47 कर्मचारीयों को वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
2.	जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सम्पादन एवं अनुश्रवण करते हुए जन सामान्य को अधिकतम लाभ पहुँचाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना।	2031.31	—	11 अधिकारियों एवं 152 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि एवं कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यय का भुगतान किया गया	5 अधिकारियों एवं 178 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि एवं कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यय का भुगतान किया जायेगा।	13 अधिकारी एवं 197 कर्मचारी	13 अधिकारी एवं 197 कर्मचारीयों को वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जायेगा	वित्तीय वर्ष
3.	आई0टी0सैल की स्थापना	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिये ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर पात्र व्यक्तियों को आनलाईन धनराशि के भुगतान करना।	148.02	—	10 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया।	12 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया	12 कर्मचारी	12 कर्मचारी को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा	वित्तीय वर्ष
4.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिष्ठान	अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के सहायतार्थ संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इस वर्ग का उत्थान करना।	105.12	—	1 अधिकारी 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं मा० अध्यक्ष के मानदेय तथा देय सुविधाओं का भुगतान किया गया	1 अधिकारी 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं मा० अध्यक्ष के मानदेय तथा देय सुविधाओं का भुगतान किया जायेगा।	1 अधिकारी 3 कर्मचारी 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष तथा 15 सदस्य	1 अधिकारी 3 कर्मचारी एवं 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 15 सदस्य	वित्तीय वर्ष

5.	अति पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन	शासन द्वारा नामित मा० महानुभावों के माध्यम से पिछडे वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एंव क्रियान्वन करने के साथ नये विकल्पों पर विचार करना	59.22	—	—	मा० उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं का भुगतान	1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष 5 सदस्य	1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य	वित्तीय वर्ष
6.	पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रशित कें०स०)	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से पिछडे वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान कर आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकें।	2509.63	—	3392 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया	5590 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान	20800 (छात्र/छात्रा)	20800 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
7.	पिछड़ी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति	पिछडे वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान देकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करना	450.45	—	18153 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान का भुगतान किया	19000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान	25000 (छात्र/छात्रा)	25000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
8.	गोरखा कल्याण परिषद	शासन स्तर से नामित मा० महानुभावों के स्तर से गोरखा जाति की समस्याओं का निराकरण करना	59.23	—	मा० उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं का भुगतान किया	मा० उपाध्यक्ष एवं उनके स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान	1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष 11 सदस्य	1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष 11 सदस्य	वित्तीय वर्ष
9.	कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन	कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों को उनके भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	4.59	—	—	34 परिवारों को पेंशन की धनराशि का भुगतान	34 (परिवार)	34 (परिवार)	मासिक

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
10.	विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र	विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग कर्मशालाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनको दिव्यांगता के अनुसार विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।	150.44	—	25 दिव्यांग व्यक्ति को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराकर विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं 15 कर्मचारी के बेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	28 दिव्यांग व्यक्ति को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराकर विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं 15 कर्मचारी के बेतन भत्ते आदि का भुगतान	150 दिव्यांग व्यक्ति विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं 15 कर्मचारी के बेतन भत्ते आदि का भुगतान	150 दिव्यांग व्यक्ति विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं 15 कर्मचारी के बेतन भत्ते आदि का भुगतान	वित्तीय वर्ष
11.	दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत कर प्रोत्साहन करना।	16.00	—	32 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों को पुरस्कार दिया	65 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों को पुरस्कार दिया	50 (दक्ष दिव्यांग व्यक्ति)	50 (दक्ष दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
12.	दिव्यांग युवक, युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन	दिव्यांग युवक/ युवतियों से सामान्य युवक/ युवति द्वारा विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार स्वरूप धनराशि देकर प्रोत्साहित करना	25.00	—	68 दम्पत्ति को पुरस्कार दिया गया	100 दम्पत्तियों	100 (दम्पत्ति)	100 (दम्पत्ति)	वित्तीय वर्ष
13.	दिव्यांगजनों हेतु शिविर एवं सेमीनारों का आयोजन	दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ सभी पात्र दिव्यांगजनों को पहुँचान हेतु शिविर एवं सेमीनारों का आयोजन कराना	5.00	—	15 शिविर आयोजित किये	25	50 (शिविर)	50 (शिविर)	वित्तीय वर्ष

14.	दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना	दिव्यांगों छात्रवृत्ति प्रदान कर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कराना	10.00	—	—	250	500 (छात्र/छात्रा)	500 (छात्र/छात्रा)	वित्तीय वर्ष
15.	दिव्यांगजन आयुक्त का अधिष्ठान	दिव्यांग जन अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अनुसार दिव्यांगों को अधिकतम लाभ पहुँचाना	45.20	—	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारी	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
16.	प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	समस्त जिला मुख्यालयों में स्थापित चिकित्सालयों में दिव्यांगजनों हेतु पृथक से कक्ष स्थापित कर दिव्यांग जनों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराना	150.00	—	7 सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों को बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी	2892 व्यक्तिय	3000 व्यक्तिय	3000 व्यक्तिय	वित्तीय वर्ष
17.	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम सहायक यंत्र क्य करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि वे सुचारू जीवन यापन कर सकें।	दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम सहायक यंत्र क्य करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि वे सुचारू जीवन यापन कर सकें।	88.00	—	127 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराये गये	1150 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराये गये हेतु अनुदान	1257 (दिव्यांग व्यक्ति)	1257 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
18.	दिव्यांग पेंशन	आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन यापन कर सकें।	16588.46	—	86146 दिव्यांगजनों को पेंशन का भुगतान किया	92000 दिव्यांग पेंशनरों को पेंशन भुगतान	97000 (दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन)	97000 (दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन)	मासिक
19.	निराश्रित विधवा पेंशन	आर्थिक रूप से कमजोर निराश्रित विधवाओं को उनके तथा बच्चों के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन यापन कर सकें।	40058.28	—	201243 निराश्रित विधवाओं को पेंशन का भुगतान किया	210000 विधवा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	220000 (विधवाओं को पेंशन)	220000 (विधवाओं को पेंशन)	मासिक

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्रं सं	योजना का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले/बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
20.	परित्यक्त महिला, निराश्रित महिला एवं मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु अनुदान	परित्यक्त, निराश्रित महिला एवं मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी को उनके जीवन यापन हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता करना जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन यापन कर सकें।	1115.06	—	5932 परित्यक्त,निराश्रित महिलाओं को पेंशन का भुगतान किया	7400 परित्यक्त एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन	8000 (परित्यक्त महिलाओं को पेंशन)	8000 (परित्यक्त महिलाओं को पेंशन)	मासिक
21.	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु अनुदान	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना	50.00	—	—	100 पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	100 (पुत्रियों)	100 (पुत्रियों)	वित्तीय वर्ष
22.	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना	भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार वृद्धजनों के कल्याण संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	208.18	—	—	2500 व्यक्ति	2500 व्यक्ति	2500 व्यक्ति	वित्तीय वर्ष
23.	वृद्ध अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह	ऐसे निराश्रित वृद्धजनों जिनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है उनको निःशुल्क आश्रय, भोजन एवं वस्त्र आदि उपलब्ध कराना	97.41	—	16 निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी एवं 4 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	50 निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं 4 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	100 निराश्रित वृद्धजन एवं 10 कर्मचारी	100 निराश्रित वृद्धजन एवं 10 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
24.	मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव	विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों एवं गोष्ठीयों आयोजित कर मादक द्रव्यों और नशीली दवाओं के सेवन से हाने वाली बुराईयों एवं इससे बचाव करने के उपायों को जनसामान्य तक पहुँचाकर जागरूक करना।	100.00	—	जनपद नैनीताल एवं देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में योजना का संचालन कर जनसामान्य को जागरूक किया गया	जनपद नैनीताल एवं देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में योजना का संचालन कर जनसामान्य को जागरूक किया जायेगा	13 (जनपद)	13 (जनपद)	वित्तीय वर्ष
25.	भिक्षावृत्ति का निवारण	ऐसे व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर भिक्षावृत्ति को समाप्त करना।	113.97	—	200 भिक्षु को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा तथा 12 कर्मचारियों के वेतन भत्ते का भुगतान किया गया	200 भिक्षु को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा तथा 12 कर्मचारियों के वेतन भत्ते का भुगतान	200 भिक्षुकों को आश्रय एवं 12 कर्मचारियों का वेतन भुगतान	200 भिक्षुकों को आश्रय एवं 12 कर्मचारियों का वेतन भुगतान	वित्तीय वर्ष
26.	मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	35.01	—	2 (संस्थायें)	1 (संस्थायें)	2 (संस्थायें)	2 (संस्थायें)	वित्तीय वर्ष
27.	अनाथों के दाह-दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	लावारिस शवों के दाह-दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करना	10.00	—	79 (व्यक्ति)	125 व्यक्ति	250 (व्यक्ति)	250 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
28.	ट्रान्सजेण्डर समुदाय के उत्थान के लिये अम्बैला योजना	ट्रान्सजेण्डर समुदाय के उत्थान के शैक्षणिक सुविधा देने हेतु छात्रवृत्ति, पैशान एवं रोजगार हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना	8.02	—	—	—	10 (ट्रान्सजेण्डर व्यक्ति)	10 (ट्रान्सजेण्डर व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
29.	आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों के छात्रों हेतु डा० अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के०स०)	आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग (ई०बी०सी०) के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता की धनराशि का भुगतान कर आर्थिक सहायता प्राप्त कराना।	500.00	—	1076 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया	1150 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता का भुगतान किया गया	1380 (छात्र/छात्रा)	1380 (छात्र/छात्रा)	वित्तीय वर्ष
30.	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना	500.00	—	878 निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दी गयी	1800 निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता	1000 (पुत्रियों)	1000 (पुत्रियों)	वित्तीय वर्ष
31.	अन्तर्जातीय विवाह हेतु अनुदान	समाज में समरसता लाने हेतु अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना	38.00	—	36 दम्पत्तियों को पुरस्कृत किया गया	60 दम्पत्ति	74 (दम्पत्ति)	74 (दम्पत्ति)	वित्तीय वर्ष
32.	दिव्यांग बेरोजगारों को कौशल बृद्धि प्रशिक्षण योजना	दिव्यांग बेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	8.01	—	—	—	25 (दिव्यांग व्यक्ति)	25 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्रंसं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1—4—2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31—03—2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024—25	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2024—25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
33.	योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार—प्रसार	विभिन्न प्रचार—प्रसार माध्यमों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुँचाना	10.00	—	1 विभागीय पुस्तिका 1 बाउजर का प्रकाशन एवं विभागायी योजनाओं का प्रचार—प्रसार	1 विभागीय पुस्तिका 1 बाउजर का प्रकाशन एवं विभागायी योजनाओं का प्रचार—प्रसार	1 विभागीय पुस्तिका 1 बाउजर का प्रकाशन एवं प्रचार के अन्य माध्यमों से विभागायी योजनाओं का प्रचार—प्रसार	1 विभागीय पुस्तिका 1 बाउजर का प्रकाशन एवं प्रचार के अन्य माध्यमों से विभागायी योजनाओं का प्रचार—प्रसार	वित्तीय वर्ष
34.	वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण समिति	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अनुश्रवण करना	20.01	—	—	—	1 अध्यक्ष 3 उपाध्यक्ष एवं 11 सदस्य	1 अध्यक्ष 3 उपाध्यक्ष एवं 11 सदस्य	वित्तीय वर्ष
35.	समाज कल्याण अनुश्रवण समिति	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण करना	20.01	—	मा0 अध्यक्ष एवं उनके स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान किया	मा0 अध्यक्ष एवं उनके स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान	1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष एवं 13 सदस्य	1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष एवं 13 सदस्य	वित्तीय वर्ष
36.	मा0 मुख्य मंत्री के सलाहकार (समाज कल्याण)	समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी के सलाहकार के रूप में कार्य करना।	10.01	—	—	—	1 अध्यक्ष एवं उनको अनुमन्य स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान	1 अध्यक्ष एवं उनको अनुमन्य स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान	वित्तीय वर्ष
37.	वृद्धावस्था पेंशन	निर्धन, निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण—पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	107787.00	—	485610 वृद्धजनों को पेंशन का भुगतान कर लाभान्वित किया गया	535000 वृद्धजनों को पेंशन का भुगतान	562000 (वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन)	562000 (वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन)	मासिक

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले/बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की सम्पादित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
38.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ (100प्रतिशत के0स0)	बी0पी0एल0 परिवार के मुखीया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	396.58	—	1171 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी	1450 परिवारों को आर्थिक सहायता	824 (परिवार)	824 (परिवार)	वित्तीय वर्ष
39.	किसान पेंशन योजना	ऐसे निर्धन किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं उनको पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	4610.82	—	27277 किसान पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया गया	27900 किसान पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	29000 (किसानों को पेंशन)	29000 (किसानों को पेंशन)	मासिक
40.	जिला मुख्यालयों में अन्य पिछडे वर्ग के विधार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण (50 प्रतिशत के0स0)	पिछडे वर्गों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये निर्धन छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	55.02	—	—	—	2 (छात्रावास निर्माण	2 (छात्रावास निर्माण)	वित्तीय वर्ष
41.	राजकीय वृद्ध आश्रम के भवन का निर्माण	निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	—	500.00	01 (निर्माण कार्य)	01 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 01 भवन निर्माणाधीन	09 (भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करना)	09 (भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करना)	वित्तीय वर्ष
42.	अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के अनुश्रवण तथा अनुसूचित जाति की समस्याओं का निराकरण करना	136.76	—	मा0 उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं एवं आयोग के 1 अधिकारी एवं 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया	मा उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं के का भुगतान एवं 1 अधिकारी तथा 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान	1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्यों तथा 1 अधिकारी एवं 10 कर्मचारी	1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्यों तथा 1 अधिकारी एवं 10 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
43.	प्रधान मंत्री आर्दश ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0)	प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित ग्रामों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराकर। आर्दश ग्राम की स्थापना करना	1000.00	—	50 (ग्राम)	110 (ग्राम)	294 (ग्राम)	294 (ग्राम)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1—4—2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31—03—2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024—25	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2024—25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
44.	औद्योगिक आस्थान की स्थापना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु दुकान एवं प्लान उपलब्ध कराना	17.62	—	1 कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यय का भुगतान किया	2 कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यय का भुगतान	1 अधिकारी एवं 2 कर्मचारी	1 अधिकारी एवं 2 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
45.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 का क्रियान्वयन	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अनुसार अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	370.00	—	101 परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी	93 परिवारों	—	—	वित्तीय वर्ष
46.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	2700.00	—	3807 परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी	5400 पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता	5400 (पुत्रियों)	5400 (पुत्रियों)	वित्तीय वर्ष

47.	अनुसूचित जाति कक्षाओं के में अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करना।	2818.21	-	27318 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि का भुगतान किया गया	30800 छात्र/छात्रा	37000 (छात्र/छात्रा)	37000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र	
48.	अनुसूचित जाति कक्षा 9 से 10 की छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कक्षा 9 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करना।	150.01	-	14342 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया	9500 छात्र/छात्रा	11000 (छात्र/छात्रा)	11000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
49.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	381.34	-	259 छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया एवं 49 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	340 छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया एवं 49 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	576 (छात्र)	576 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
50.	आश्रम पद्धति विधालयों का संचालन	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के बालकों को निःशुल्क आवासीय, भोजन एवं वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।	628.98	-	268 छात्रों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराया गया एवं 40 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	325 छात्रों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराया गया एवं 40 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	560 छात्र एवं 40 कर्मचारी	560 छात्र एवं 40 कर्मचारी	शैक्षणिक सत्र

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले/बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
51.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व प्रशिक्षण योजना	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने के लिये मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करना	1100.00	—	194 छात्र-छात्राओं को मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।	250 छात्र/छात्राओं	500 (छात्र/छात्रा)	500 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
52.	अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराया गया	604.19	—	519 छात्रों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी एवं 32 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	525 छात्रों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराया गया एवं 32 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	720 (छात्र)	720 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
53.	अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना	1265.00	—	5523 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया	77000 छात्र/छात्राओं	125000 (छात्र/छात्रा)	125000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
54.	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आर्दश आवासीय विघालय की स्थापना	अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराकर अंग्रेजी पैटन की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना	269.12	—	134 छात्रों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी एवं 18 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	144 छात्रों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी एवं 18 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	144 (छात्र)	144 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकलिप्त (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकलिप्त (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
55.	पुस्तकालयों, पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	स्वैच्छिक संस्थायें जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है को अनुदान देकर लाभान्वित करना	166.50	—	13 विभाग द्वारा आर्वतक अनुदान पर संचालित विद्यालयों को अनुदान दिया गया	10 विभाग द्वारा आर्वतक अनुदान पर संचालित विद्यालयों को अनुदान दिया गया	10 (संस्थाये)	10 (संस्थाये)	शैक्षणिक सत्र
56.	अनुसूचित जातियों के लिये अटल आवास योजना	अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना	670.80	—	285 परिवारों को आवास बनाने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी	320 परिवारों को आवास बनाने हेतु आर्थिक सहायता	540 (परिवार)	540 (परिवार)	वित्तीय वर्ष
57.	अनुसूचित जाति आयोग का भवन निर्माण	आयोग का भवन निर्माण	—	200.01	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष
58.	बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के सूदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	—	1411.57	—	—	5 (निर्माण कार्य)	5 (निर्माण कार्य)	एक वर्ष
59	बबू जगजीवन बालक छात्रावास का निर्माण	छात्रावास का निर्माण कर अनुसूचित जाति के छात्रों उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	—	325.01	—	—	2 (निर्माण कार्य)	2 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष
60.	निदेशालय के आवासीय भवन का निर्माण	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण	—	0.02	—	—	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम— समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले/बजट		1—4—2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31—03—2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024—25	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2024—25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
61.	अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विधालय का निर्माण	अनुसूचित जाति के बालकों को प्राथमिक सुवधा हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	—	200.01	—	1 निर्माणाधीन	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	एक वर्ष
62.	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाये उपलब्ध कराना	—	6000.00	347 निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी	450 (निर्माण कार्य)	500 (निर्माण कार्य)	500 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत SDG संकेतकों के अन्तर्गत चिह्नित योजनाओं का विवरण।

क्र०सं०	SDG संकेतक	1–4–2023 की स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की संम्बावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2024–25	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2024–25
1.	1.3.14 दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों की संख्या	86146 (दिव्यांग पेंशनर)	92000 (दिव्यांग पेंशनर)	97000 (दिव्यांग पेंशनर)	97000 (दिव्यांग पेंशनर)
2.	1.3.15 विधवा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या	201243 (विधवा पेंशनर)	210000 (विधवा पेंशनर)	220000 (विधवा पेंशनर)	220000 (विधवा पेंशनर)
3.	1.3.16 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या	485610 (वृद्धावस्था पेंशनर)	535000 (वृद्धावस्था पेंशनर)	562000 (वृद्धावस्था पेंशनर)	562000 (वृद्धावस्था पेंशनर)